



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 फरवरी, 2004

फाल्गुन 8, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 388/सात-वि-1-1 (क)-8-2004

लखनऊ, 27 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विधिघ

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पर दिनांक 26 फरवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004

[ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 ]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के संबंध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस विधित्त नियत करे।

परिणाम

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "वार्षिक बजट" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान-मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे गये वार्षिक वित्तीय विवरण से है;

(ख) "चालू वर्ष" का तात्पर्य ऐसे वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से है जिसके लिए बजट और मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति प्रस्तुत की जा रही हो;

(ग) "राजकोषीय घाटा" का तात्पर्य—

(एक) वित्तीय वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्ति को छोड़कर कुल प्राप्ति से अधिक राज्य की समकित निधि में कुल मंगलान (ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) से है; या

(दो) स्व कर और करतर राजस्व प्राप्ति, राज्य को भारत सरकार से सहायता और अन्य अनुदानों और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणतर पूंजीगत प्राप्ति, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उधार संबंधी अपेक्षाओं व ऋण के शुद्ध प्रतिसंदाय को स्मृत करती है, से अधिक राज्य सरकार की समकित निधि से (उधारों को लेकर निरस्त ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) कुल व्यय से है।

(छ) "राजकोषीय सूचकों" का तात्पर्य राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए सकल राजस्व उत्पाद या किसी अन्य किसी अनुपातों की, जैसे: विहित किया जाय, अधिकतम आंकिक सीमा और अनुपात जैसे मापों से है।

(ज) "पूर्ववर्ती वर्ष" का तात्पर्य चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से है;

(झ) "राजस्व घाटा" का तात्पर्य राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के मध्य अन्तर से है;

(ञ) "कुल दायित्वों" का तात्पर्य राज्य की समकित निधि और राज्य लोक लेखा को अन्तर्गत दायित्वों से है।

विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने वाली मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति

3—(1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति रखेगी।

(2) मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अनुसूचित धारणाओं के विनिर्देश को सत्र पंचवर्षीय चक्र लक्ष्य नियमित होने।

(3) विशिष्टतः और उपधात (2) में अनुसूचित चक्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के अन्तर्गत विनियमित में संबंधित संयोजनीयता का विवरण भी होगा—

(एक) राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के मध्य अतिशेष

(दो) उत्पादकारी आश्रितियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्ति का, जिसके अन्तर्गत उधार भी है, प्रयोग।

(4) मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित होंगे—

(क) राज्य सरकार के मध्यकालिक राजकोषीय उद्देश्य;

(ख) बजट में दिये गये लक्ष्य की तुलना में विहित राजकोषीय सूचकों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष में सम्भावित निष्पादन।

(ग) हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों और राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वृद्धि एवं विकास की भावी सम्भावनाओं पर विवरण।

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्रों में राज्य सरकार की युक्तिगत प्राथमिकताएं।

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधारों और अन्य दायित्वों, उधार दिये जाने और निवेश, प्रशासित माल और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, प्रत्याभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के क्रियाकलापों जिनकी संभावित आय-व्ययक उपलक्षणा हो, से सम्बन्धित राज्य सरकार की नीतियों और इनमें प्रत्येक से संबंधित मूल राजकोषीय अध्युपाय और लक्ष्य।

(च) इस संबंध में यह मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां किस प्रकार धारा 4 में दिये गये राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति में दिये नये वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

(5) मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति यथाविहित प्रपत्र में होगी।

4—(1) राज्य सरकार निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होगी:— वित्तीय प्रबन्ध नीतियां

(क) प्रबुद्ध स्तरों पर सरकारी ऋण का अनुरक्षण करना;

(ख) प्रत्याभूतियों और अन्य समाश्रित दायित्वों का, ऐसे दायित्वों की गुणवत्ता और उनके स्तर को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए, प्रबन्ध करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सरकार के नीति विषयक विनिश्चयों में भविष्य की पीढ़ी पर उसकी वित्तीय उपलक्षणा पर सम्यक् ध्यान दिया गया है;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि उधार का उपयोग ऐसे विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों पर, जिनके सम्बन्ध में यह मूल्यांकन किया गया हो कि वे स्वयं संपोषित हों जाएंगी और पूंजीगत आस्तियों के सृजन और उनकी वृद्धि पर किया जाय और उनका उपयोग वर्तमान व्यय के वित्तपोषण पर न किया जाय;

(ङ) कर भार के स्तर में स्थायित्व और भविष्य सूचकता का उचित स्तर सुनिश्चित करना;

(च) विशेष प्रोत्साहनों, रियायतों और छूटों को न्यूनीकृत करके कर प्रणाली की अक्षतता को बनाए रखना;

(छ) आर्थिक दक्षता और अनुपालन लागतों पर सम्यक् ध्यान देते हुए कर संबंधी नीतियों का अनुसरण करना;

(ज) लागत वसूली और साम्या पर सम्यक् ध्यान देते हुए करेतर राजस्व नीतियों का अनुसरण करना।

(झ) ऐसी व्यय सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना जिससे आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानव कल्याण में सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके;

(ञ) पूंजी सृजन और उत्पादक व्यय में उपयोग के लिए राजस्व अधिशेष का सृजन करना;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सरकार की भौतिक आस्तियों का अनुरक्षण उचित रूप से किया जाता है;

(ठ) पर्याप्त सूचना का प्रकट करना जिससे कि जनता राजकोषीय नीति के संचालन और लोक वित्तीय स्थिति की संवीक्षा कर सके।

(ड) यह सुनिश्चित करना कि सरकार संसाधनों का उपयोग ऐसे ढंग से करती है जिससे कि धन का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो सके और यह भी सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक आस्तियों का सर्वाधिक उपयोग संभव हो;

(ढ) लोक कल्याण और सेवा प्रदान कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन से सम्बद्ध राजकोषीय जोखिम को न्यूनीकृत करना;

(ण) राजस्व वसूली के स्तर के अनुरूप व्यय का प्रबन्ध करना,

(त) सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण और राजस्व सम्भावनाओं पर सम्यक् ध्यान देते हुए यथार्थ और निरपेक्ष रीति से बजट तैयार करना और वर्ष के दौरान विचलन को न्यूनीकृत करना;

(ध) चालू दायित्वों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करना;

(2) राज्य सरकार राजस्व घाटा दूर करने और संपोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष निर्मित करने के समुचित उपाय करेगी।

(3) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) 1 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खण्ड (क) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटे में कमी करेगी।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी।

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(ङ) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी।

(च) 1 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले चौदह वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो:

परन्तु यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अधीन बढ़ सकता है, कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की, यह संभाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, आधिक्य की सम्भावित सीमा और उसके कारणों को अधिकथित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जायगा।

राजकोषीय पारदर्शिता  
के लिए उपाय

5—(1) राज्य सरकार लोकहित में अपने राजकोषीय प्रवर्तनों में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगी और जहाँ तक साध्य हो वार्षिक बजट की तैयारी में गोपनीयता को कम करेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, वार्षिक बजट तैयार किये जाने के समय ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी—

(क) विहित वित्तीय सूचकों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की सम्भावना वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ख) जहां तक संभव हो, और लोकहित की संरक्षा के अनुरूप, प्रत्याभूतियों द्वारा सृजित आकस्मिक दायित्व; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उधार से उद्भूत होने वाले वास्तविक दायित्व और असामान्य उद्देश्य साधन और अन्य समकक्ष लिखत, जहां प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार के आवंटनों पर हो तथा संभावित आय-व्ययक उपलक्षणा वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं जिनमें समुत्थापित किन्तु अनाप्त राजस्व मांग, कर व्यय; सार्वजनिक माल एवं सेवाएं सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं उपक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराने में उपगत क्षतियां, वृहद कार्यों और संविदाओं से सम्बन्धित दायित्व; और आर्थिक सहायता के संदाय और धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट लक्ष्यों सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर उक्त का प्रभाव।

6—(1) वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियां आगामी और भावी वर्षों के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होंगी।

अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय

(2) वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय।

(3) पुनर्विलोकन रिपोर्ट में,—

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या सम्भावित विचलन को स्पष्ट किया जायगा।

(ख) स्पष्ट किया जायगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट सम्बन्धी परिणामों से सम्बन्धित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

(4) जब कभी राज्य सरकार के किसी नये नीति विनिश्चय, जिससे या तो राज्य सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित हों, के कारण किसी दिये गये वर्ष के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों से राजस्व में कमी या व्यय के आधिक्य की संभाव्यता हो तो राज्य सरकार, ऐसे नीति विनिश्चय करने के पूर्व ऐसी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए किसी अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित की जाने वाली प्राधिकृत धनराशियों में कमी करके, या राजस्व संवर्धन के अंतरिम उपाय करके या दोनों का सम्मिलित उपाय करके चालू और भावी वर्षों के लिए राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने का उपाय करेगी:

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की समेकित निधि से प्रभारित व्यय के लिए इस उपधारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्षों से अनुषक्त रहने के दौरान राज्य सरकार मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति में, "उच्च प्राथमिकता विकास व्यय" के रूप में परिभाषित कतिपय व्यय में कमी से संरक्षित रखने को प्राथमिकता देगी या घटा सकेगी या आंशिक कमी अधिरोपित कर सकेगी।

(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्सम कमी और/या राजस्व के सम्यर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।

7—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाले राजकोषीय सूचक।

(ख) धारा 3 में निर्दिष्ट मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति की अवधि।

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जा सकता है।

सद्भावना से किये गये कार्य संरक्षण

8—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अन्य विधियों का जो बर्जित न हों, लागू किया जाना कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

9—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण के लिए होंगे।

10—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जैसा वह कठिनाई दूर करने के लिए उचित समझे और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

### उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने की दृष्टि से एक विधि, अधिनियमित करना आवश्यक समझा गया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक, अन्य बातों के मध्य, निम्नलिखित की व्यवस्था करता है:—

(एक) वार्षिक बजट, जो विहित राजकोषीय सूचकों के पंचवर्षीय चल लक्ष्यों को उपवर्णित करेगा, सहित मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मण्डल के दोनों के समक्ष रखने के लिये राज्य सरकार से अपेक्षा करना।

(दो) राज्य सरकार का मार्ग दर्शन के लिये राजकोषीय प्रबंध सिद्धान्तों को विनिर्दिष्ट करना।

(तीन) राजस्व घाटा दूर करने और विहित सीमाओं के भीतर 31 मार्च, 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को अन्तर्विष्ट करने के लिये समुचित उपाय करने की राज्य से अपेक्षा करना।

(चार) राजकोषीय प्रवर्तनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और, जहाँ तक व्यवहार्य हो, वार्षिक बजट की तैयारी में गोपनीयता को कम करने के लिये समुचित उपाय करने की राज्य सरकार से अपेक्षा करना।

(पाँच) यह अपेक्षा करना कि वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियाँ, आगामी और भावी वर्षों के लिये मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होंगी।

(छः) वित्त मंत्री द्वारा बजट के सम्बन्ध में प्राप्तियों और व्यय के रूखों का अर्द्धवार्षिक पुनर्विलोकन किया जाना और ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम से राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना।

(सात) विधान के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं को पूरा करने में किसी विचलन के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में वित्त मंत्री से विवरण देने की अपेक्षा करना।

(आठ) राष्ट्रीय सुरक्षा या अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्तियों के कारण अकल्पित मांगों पर विचार करने के लिये घाटे में कमी के लक्ष्यों में शिथिलीकरण।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
आर० बी० राव,  
प्रमुख सचिव।

No. 388(2)/VII-V-1-1(KA)-8-2004  
Dated Lucknow, February 27, 2004

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2004 :—

**THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND  
BUDGET MANAGEMENT ACT, 2004**

(U. P. ACT NO. 5 OF 2004)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability, and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government borrowings, government guarantees, debt and deficits, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium-term fiscal framework and for matters connected therewith or incidental thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions

(a) "annual budget" means the annual financial statement laid before both Houses of State Legislature under Article 202 of the Constitution;

(b) "current year" means the year preceding the year for which budget and Medium Term Fiscal Restructuring Policy are being presented;

(c) "fiscal deficit" means the excess of—

(i) total disbursements from the Consolidated Fund of the State (excluding repayment of debt) over total receipts into the Fund excluding the debt receipts during a financial year; or

(ii) total expenditure from the Consolidated Fund of the State (including loans but excluding repayment of debt) over own tax and non-tax revenue receipts, devolution and other grants from Government of India to the State, and non-debt capital receipts during a financial year which represents the borrowing requirements, net of repayment of debt, of the State Government during the financial year;

(d) "Fiscal Indicators" means the measures such as numerical ceilings and proportions to gross state domestic product or any other ratios, as may be prescribed, for evaluation of the fiscal position of the State Government;

(e) "previous year" means the year preceding the current year;

(f) "revenue deficit" means the difference between revenue expenditure and revenue receipts;

(g) "total liabilities" means the liabilities under the Consolidated Fund of the State and the public account of the State.

Medium Term  
Fiscal  
Restructuring  
Policy to be laid  
before the  
Legislature

3. (1) The State Government shall in each financial year lay before both Houses of the Legislature a Medium Term Fiscal Restructuring Policy alongwith the annual budget.

(2) The Medium Term Fiscal Restructuring Policy shall set forth a five-year rolling targets for the prescribed fiscal indicators with specification of underlying assumptions.

(3) In particular and without prejudice to the provisions contained in subsection (2), the Medium Term Fiscal Restructuring Policy shall include an assessment of sustainability relating to—

(i) the balance between revenue receipts and revenue expenditure;

(ii) the use of capital receipts including borrowings for generating productive assets.

(4) The Medium Term Fiscal Restructuring Policy shall, *inter-alia*, contain—

(a) the medium term fiscal objectives of the State Government;

(b) an evaluation of performance on the basis of the prescribed fiscal indicators *vis-a-vis* the targets set out in the budget, and the likely performance in the current year as per revised estimates;

(c) a statement on recent economic trends and future prospects for growth and development affecting fiscal position of the State Government;

(d) the strategic priorities of the State Government in the fiscal areas for the ensuing financial year;

(e) the policies of the State Government for the ensuing financial year relating to taxation, expenditure, borrowings and other liabilities, lending and investments, pricing of administered goods and services, guarantees and activities of Public Sector Undertakings which have potential budgetary implications; and the key fiscal measures and targets pertaining to each of these;

(f) an evaluation as to how current policies of the State Government are in conformity with the fiscal management principles set out in section 4 and the fiscal objectives set out in the Medium Term Fiscal Restructuring Policy.

(5) The Medium Term Fiscal Restructuring Policy shall be in such form as may be prescribed.

Fiscal Manage-  
ment Principles

4. (1) The State Government shall be guided by the following fiscal management principles—

(a) to maintain Government debt at prudent levels;



(b) to manage guarantees and other contingent liabilities prudently, with particular reference to the quality and level of such liabilities;

(c) to ensure that policy decisions of the Government have due regard to their financial implication on future generation;

(d) to ensure that borrowings are used on development activities, which are evaluated to become self-sustained, and creation or augmentation of capital assets, and are not applied to finance current expenditure;

(e) to ensure a reasonable degree of stability and predictability in the level of tax burden;

(f) to maintain the integrity of the tax system by minimizing special incentives, concessions and exemptions;

(g) to pursue tax policies with due regard to economic efficiency and compliance costs;

(h) to pursue non-tax revenue policies with due regard to cost recovery and equity;

(i) to pursue expenditure policies that would provide impetus to economic growth, poverty reduction and improvement in human welfare;

(j) to build up a revenue surplus for use in capital formation and productive expenditure;

(k) to ensure that physical assets of the Government are properly maintained;

(l) to disclose sufficient information to allow the public to scrutinize the conduct of fiscal policy and the state of public finance;

(m) to ensure that Government uses resources in ways that give best value for money and also ensure that public assets are put to best possible use;

(n) to minimize fiscal risks associated with running of public sector undertakings and utilities providing public goods and services;

(o) to manage expenditure consistent with the level of revenue generated;

(p) to formulate budget in realistic and objective manner with due regard to the general economic outlook and revenue prospects and minimize deviations during the course of the year;

(q) to ensure discharge of current liabilities in a timely manner.

(2) The State Government shall take appropriate measures to eliminate the revenue deficit and control the fiscal deficit at sustainable level and build up adequate revenue surplus.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall—

(a) reduce revenue deficit to nil within a period of five financial years beginning from the 1st day of April 2004 and ending on the 31st day of March, 2009;

(b) reduce revenue deficit as percentage of Gross State Domestic Product in each of the financial years referred to in clause (a) in a manner consistent with the goal set out in clause (a);

(c) reduce fiscal deficit to not more than three per cent of the estimated Gross State Domestic Product within the period referred to in clause (a);

(d) reduce fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product in each of the financial years referred to in clause (a) in a manner consistent with the goal set out in clause (c);

(e) not to give guarantee for any amount exceeding the limit stipulated under any rule or law of the State Government existing at the time of the coming into force of this Act or any rule or law to be made by the State Government subsequent to coming into force of this Act;

(f) ensure within a period of fourteen financial years, beginning from the initial financial year on the 1st day of April, 2004, and ending on the 31st day of March, 2018; that the total liabilities at the end of the last financial year, do not exceed twenty-five per cent of the estimated gross state domestic product for that year;

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this sub-section due to ground or grounds of unforeseen demands on the finance of the State Government due to national security or natural calamity, subject to the condition that the excess beyond limits arising due to natural calamities does not exceed the actual fiscal cost that can be attributed to the calamities:

Provided further that the ground or grounds specified in the first proviso shall be placed before both the Houses of Legislature, as soon as possible, after it becomes likely that such deficit amount may exceed the aforesaid limits, with an accompanying report stating the likely extent of excess, and reasons therefor.

Measures for  
Fiscal  
Transparency

5. (1) The State Government shall take suitable measures to ensure greater transparency in its fiscal operations in public interest and minimize as far as practicable, secrecy in the preparation of the annual budget.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall, at the time of presentation of the annual budget, disclose in a statement in the form as may be prescribed,—

(a) the significant changes in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to effect the computation of prescribed fiscal indicators;

(b) as far as practicable, and consistent with protection of public interest, the contingent liabilities created by way of guarantees; the actual liabilities arising out of borrowings by Public Sector Undertaking and Special Purpose Vehicles and other equivalent instruments where liability for repayment is on the State Government allocations and commitments made by the State Government having potential budgetary implications, including revenue demand raised but not realized, tax expenditure; losses incurred in providing public goods, and services through public utilities and undertaking; liability in respect of major works and contracts; and subsidy payments and the impact of the same on the fiscal position of the State including in relation to the targets referred to in sub-section (3) of Section 4.

6. (1) The Annual budget, and policies announced at the time of the budget, shall be consistent with the objectives and targets specified in the Medium Term Fiscal Restructuring Policy for the coming and future years.

Measures to enforce compliance

(2) The Minister Incharge of the Department of Finance, shall review, every half year, the trend in receipts and expenditure in relation to the budget, remedial measures to be taken to achieve the budget targets, and place before both the Houses of Legislature the outcome of such reviews. The review report shall be in such form as may be prescribed.

(3) The review report shall explain,—

(a) any deviation or likely deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act;

(b) whether such deviation is substantial and relates to the actual or the potential budgetary outcomes, and how much of the deviation can be attributed to general economic environment and to policy changes by the State Government; and

(c) the remedial measures the State Government proposes to take.

(4) Wherever there is a prospect of either shortfall in revenue or excess of expenditure over pre-specified levels for a given year on account of any new policy decision of the State Government that affects either the State Government or its public Sector Undertakings, State Government, prior to taking such policy decision, shall take measures to fully offset the fiscal impact for the current and future years by curtailing the sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated fund of the State under any Act to provide for the appropriation of such sums, or by taking interim measures for revenue augmentation, or by taking up a combination of both:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State under clause(3) of Article 202 of the Constitution:

Provided further that, while adhering to the fiscal years, the State Government will give priority to protecting certain expenditure defined in the Medium Term Fiscal Restructuring Policy as "High Priority Development Expenditure" (including, *inter alia.*) from curtailment or may impose a recede or partial curtailment.

(5) Whenever one or more supplementary estimates are presented to the House of Legislature, the State Government shall also present an accompanying statement indicating the corresponding curtailment of expenditure and/or augmentation of revenue to fully offset the fiscal impact of the supplementary estimates in relation to the budget targets of the current year and the Medium Term Fiscal Restructuring Policy objectives and targets for the future year.

7. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Power to make rules

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the fiscal indicator to be prescribed for the purpose of sub-section (2) of section 3 and clause (a) of sub-section (2) of section 5;

(b) the term of the Medium Term Fiscal Restructuring Policy referred to in section 3;

(c) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Protection of  
action taken in  
good faith

8. No suit for prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Application of  
other laws not  
barred

9. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Power to  
remove  
difficulties

10. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the *Gazette* make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as it may be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability, and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal polity and prudent debt management through limits on State Government borrowings, government guarantees, debt and deficits, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework, it was considered necessary to enact a law.

The Fiscal Responsibility Bill, among other things, provides for the following :—

(i) requiring the State Government to lay in each financial year before both Houses of the State Legislature a Medium Term Fiscal Restructuring Policy alongwith the annual budget which will set forth five year rolling targets of prescribed fiscal indicators.

(ii) specifying fiscal management principles to guide the State Government.

(iii) requiring the State Government to take appropriate measures to eliminate revenue deficit and containing the fiscal deficit as percentage of GSDP by 31st March, 2009 within the prescribed limits.

(iv) requiring the State Government to take suitable measures to ensure transparency in fiscal operations and to minimize as far as practicable, secrecy in the preparation of the annual budget.

(v) to require that the annual budget and the policies announced at the time of budget shall be consistent with the objectives and targets specified in the Medium Term Fiscal Restructuring Policy for the coming and future years.

(vi) half-yearly reviews of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget by the Finance Minister and placing the outcome of such review before both the Houses of the State Legislature.

(vii) requiring the Finance Minister to make statement in both the Houses of the State Legislature in respect of any deviation in meeting the obligations cast on the State Government under the Legislation.

(viii) relaxation from deficit reduction targets to deal with unforeseen demands on account of national security or unprecedented natural calamities.

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order  
R. B. RAO,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 969 राजपत्र (हिन्दी)—(2342)—2004—597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 253 सा० विघायी—(2343)—2004—850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।